परिपत्र संख्या 1064/03/2018-सी एक्स

फाइल संख्या 354/94/2011-टीआरयू (पार्ट)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
कर अनुसंधान इकाई

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 26 फरवरी, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं केन्द्रीय कर (सभी)/ प्रणाली महानिदेशक

महोदया / महोदय,

विषय: प्रोविजनल मेगा पावर प्रोजेक्ट के मामलों में दीर्घकालिक पीपीए के अनुपात में मेगा पावर पॉलिसी के लाभ पर विचार - की बाबत ।

कतिपय विशिष्ट वस्तुओं जैसे कि, मशीनरी, उपस्कर, औजार, केबल्स, अन्य घटक या कच्चे माल जो कि विशिष्ट मेगा पावर प्राजेक्टस, जिनमें वे परियोजनाएं भी आती हैं जिनका स्तर प्रोविजनल मेगा पावर का है, को आपूर्ति की गई हों, को अधिसूचना संख्या 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 (यथासंशोधित) के तहत प्रविष्टि संख्या 338 के द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई थी । प्रोविजनल मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के मामले में यह छूट इस शर्त के अधीन थी कि यदि यह छूट न होती तो उस स्थिति में जितना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता उसके बराबर की राशि की प्रतिभूति [किसी अनुसूचित बैंक से 126 महीने की अवधि के फिक्स्ड डिपाजिट रसीद या बैंक गारंटी के रूप में] जमा करना होता था । इस अधिसूचना में मेगा पावर के फाइनल स्टेटस के प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किए जाने पर इस प्रतिभूति को निर्मुक्त किए जाने का प्रावधान था ।

2. बहरहाल, जीएसटी के आ जाने से अधिसूचना संख्या 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 का अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 के द्वारा अधिक्रमण कर दिया गया है और उक्त प्रविष्टि संख्या 338 को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, कर दिया गया है ।

3. अत: सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किए गए अनुपातिक मेगा सर्टिफिकेट [मेगा पावर सर्टिफिकेट (अनंतिम)] के अनुसार, ऐसे अनंतिम मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के मामले में फिक्स्ड डिपाजिट रसीद या बैंक गारंटी को उसी अनुपातिक रूप से निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

4. उपर्युक्त बातों के मद्देनजर, एततद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि निर्दिष्ट मेगा पावर प्रोजेक्टस के मामले में अधिकार क्षेत्र वाले उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट के लिए जमा किए गए फिक्स्ड डिपाजिट रसीद या बैंक गारंटी के रूप में दी गई प्रतिभूति को भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किए गए अनुपातिक मेगा सर्टिफिकेट [मेगा पावर सर्टिफिकेट (अनंतिम)] के अनुसार, ऐसे अनंतिम मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के मामले में फिक्स डिपाजिट रसीद या बैंक गारंटी को उसी अनुपातिक रूप से निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

5. क्षेत्रीय कार्यालयों से आग्रह है कि वे उपुर्यक्त निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ।

6. इसके क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो उसको बोर्ड की जानकारी में लाया जाए ।

भवदीय,

(जीलानी बाषा के.एस.एम)
तकनीकी अधिकारी, टी आर यू